Bundelkhand Journal of Academic Research

विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन

बृजेश कुमार पाल[1], धर्मकीर्ति कुशवाहा[2],

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी),** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थिनी (राजनीति विज्ञान),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** brijeshjaishree@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787366

सारांश

किसी राष्ट्र का निर्माण केवल पत्थरों, पुलों और इमारतों से नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र और आचरण से होता है। यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो 'कर्तव्य बोध' को शिक्षा प्रणाली और जन–जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को राष्ट्र निर्माण का योगदान समझेगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। किसी सभ्य एवं समृद्ध राष्ट्र की पहचान उसके सशक्त नागरिकों से होती है। नागरिक सशक्तिकरण का आधार अधिकारों की जागरूकता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है जो कि किसी भी देश के विकसित होने की अनिवार्य शर्त है। भारत एक ऐसी भूमि रही है जहां धर्म की व्याख्या व्यापक परिप्रेक्ष्य में की गई है। मातृ धर्म, पितृ धर्म, राष्ट्र धर्म किसी देश के नागरिक कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण आदर्श है। नागरिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद भाग–4क के अनुच्छेद–51ए में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है, वरन हम सब भारतीयों के लिए सामाजिक एवं नैतिक दायित्व के रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध पत्र में हम यह पड़ताल करेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मोर्चे पर नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित भारत के लक्ष्य में किस तरह योगदान दे सकती है। साथ ही यह भी खोजने का प्रयास किया जाएगा की नागरिक कर्तव्यों में कौन से तत्व बाधक हैं और उन्हें दूर करके समस्त भारतीय नागरिकों में सामूहिक एकता का भाव किस तरह पैदा किया जा सकता है। इसलिए यह शोध पत्र विकसित भारत के लक्ष्य के लिए नागरिक कर्तव्य के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं, नागरिक संगठनों तथा विभिन्न राष्ट निर्माण संस्थाओं के प्रयासों पर केंद्रित है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 14 अप्रैल, 2026 **स्वीकृत:** 28 अप्रैल, 2026 **प्रकाशित:** 30 जून, 2026

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 10

मुख्य शब्द: नागरिक कर्तव्य, विकसित भारत, एकता, सामाजिक न्याय, मूल अधिकार।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि :

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।

ईशावास्य उपनिषद के इस दूसरे मंत्र से लेकर के आज की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था तक अनवरत एक मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों को महत्व दिया जाता रहा है। प्राचीन भारत में नागरिक कर्तव्यों की अवधारणा को आधुनिक 'अधिकार–केंद्रित' दृष्टिकोण की तुलना में 'कर्तव्य–केंद्रित' संरचना के रूप में देखा जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में नागरिकों के कर्तव्य केवल कानून तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे नैतिक जीवन, सामाजिक समरसता और धार्मिक दर्शन का अभिन्न अंग थे। प्राचीन भारत में नागरिक कर्तव्य 'धर्म' की व्यापक अवधारणा पर आधारित थे। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि 'सदाचार, नैतिक दायित्व और कर्तव्य' था। ये ऐसे कर्तव्य थे जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य थे जैसे सत्य, अहिंसा, दया, दान, पवित्रता, जीवों के प्रति करुणा आदि। कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के प्रति नागरिकों के व्यावहारिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। नागरिकों का मुख्य कर्तव्य था कि वे अपनी उपज या व्यापार का उचित भाग टैक्स के रूप में राज्य को दें, जिससे सुरक्षा और लोक कल्याणकारी कार्य हो सकें। पुलों, सड़कों, जलाशयों और वनों को नुकसान न पहुँचाना प्रत्येक नागरिक का

दायित्व था। राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों या देशद्रोह की सूचना प्रशासन को देना नागरिक कर्तव्य माना जाता था।

धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए असहायों, भिक्षुओं और अतिथियों की सहायता करना प्रत्येक गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य था। माता–पिता, वृद्धों और बच्चों का भरण–पोषण करना कानून और धर्म दोनों के तहत अनिवार्य था। वैशाली के लिच्छवि, शाक्य, और यौधेय जैसे प्राचीन भारतीय गणराज्यों (गणसंघों) में नागरिकों के नागरिक दायित्व बहुत सक्रिय थे। अधिकांश गणराज्यों के पास स्थायी विशाल सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक सक्षम नागरिक को अस्त्र–शस्त्र उठाकर राज्य की रक्षा करनी होती थी। गणसंघों के नागरिकों की सभाओं में उपस्थिति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना उनका नागरिक कर्तव्य था।

इस तरह भारतीय जीवन पद्धति में 'अधिकार' से अधिक 'कर्तव्य' को प्रधानता दी गई है। भारतीय जीवन पद्धति में नागरिक कर्तव्यों से तात्पर्य केवल संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद–51ए, में उल्लिखित कर्तव्यों से नहीं है वरन कहीं अधिक विस्तृत है जो धर्म शास्त्रों से विकसित और स्वस्थ परंपराओं से पोषित है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋण की अवधारणा बताई गई है जोकि कर्तव्यों से मेल खाती है (तैत्तिरीय संहिताः6.3.10.5)। भारत में कर्तव्य की अवधारणा 'ऋण' (पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण) की उस अवधारणा से प्रेरित हैं, जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ऋग्वेद से लेकर भगवद्गीता तक, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' का सिद्धांत फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन पर जोर देता है। हम नागरिक कर्तव्यों की दृष्टि से यदि किसी देश को विकसित बनाने का लक्ष्य तय करते हैं तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विकसित देश का पैमाना क्या हो? किसी विकसित देश के मानक क्या हों, इसे एक निश्चित तथ्य के रूप में बता पाना संभव नहीं, क्योंकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। क्या केवल तकनीक और आर्थिक समृद्धि से कोई देश विकसित देश कहा जा सकता है? ऐसा ज्ञान–विज्ञान जो मानवता का रक्षक न हो, केवल उपभोग संस्कृति की उपज मात्र हो सकता है। विज्ञान–तकनीक के लाभ किसान, श्रमिक जैसे वर्गों तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंचते तो कोई देश कैसे विकसित हो सकता है। भारत सरकार का विजन सबका साथ सबका विकास है। ऐसे में सबके प्रयासों से ही भारत को विकसित देश बनाया जा सकता है। अतः सभी को अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (2020), शैक्षिक पाठ्यक्रमों में कर्तव्यों का एकीकरण, संविधान दिवस समारोहों और मीडिया प्रसारणों द्वारा प्रसार करने जैसी पहलों के साथ–साथ कानूनी, शैक्षिक और सार्वजनिक पहल की गई हैं। ये प्रयास इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र तभी सही मायने में पनप सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों, दोनों पर अमल करें।

1.1. अध्ययन की आवश्यकताः विकसित भारत (समृद्ध, स्वावलंबी और सशक्त भारत) का सपना केवल सरकार की नीतियों, बड़ी–बड़ी योजनाओं या आर्थिक घोषणाओं से पूरा नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसके नागरिकों के व्यवहार, सोच और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों के अध्ययन और उनके पालन की अत्यंत आवश्यकता है।

1.2. अध्ययन के उद्देश्यः विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों के अध्ययन का उद्देश्य 'उत्कृष्ट नागरिक' तैयार करना है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, तभी एक अनुशासित, सुरक्षित और सशक्त 'विकसित भारत' का निर्माण संभव हो पाता है। नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन करने और उनका गहराई से अध्ययन करने के पीछे केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि एक जागरूक, अनुशासित और सशक्त समाज का निर्माण करना होता है।

2. विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्य : लोकतंत्र में हम अक्सर अपने 'अधिकारों' के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन 'कर्तव्यों' को भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की मांग समाज में अराजकता और स्वार्थ को जन्म देती है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तभी समाज में अधिकारों का वास्तविक संरक्षण संभव हो पाता है। केवल मतदान करने तक नागरिक की भूमिका सीमित नहीं होती। नागरिक कर्तव्यों का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु) को संरक्षित करता है। कानून और व्यवस्था का सम्मान करता है। इसलिए विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों की निम्नांकित भूमिकाओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं।

2.1. विकसित भारत की रूपरेखा में सांस्कृतिक मूल्यः प्राचीनकाल से ही भारतीय मनीषा, ज्ञान विज्ञान, दर्शन प्रकृति और सापेक्ष और मानवतावादी रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य और जीवन लक्ष्य सुनिश्चित थे परन्तु आज के भारत का स्वरूप अलग है। आज भारत वैश्विक विचारों और जीवन

पद्धति से प्रभावित है। स्वाभाविक है कि विश्व की विकास धारा से विच्छिन्न होकर नहीं रहा जा सकता, लेकिन क्या विकसित भारत का मॉडल अमेरिका, यूरोप या देशों जैसा हो या भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकसित भारत का कोई अपना मॉडल खींचा जा सकता है। प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जरूरतें अलग–अलग होती हैं। इसलिए प्रत्येक देश के विकास का मॉडल अलग–अलग होता है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता तथा समावेशी जीवन मूल्यों को लेकर चलती रही है। प्रत्येक देश का विकास उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक परिस्थितियों से तय होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारत के विकास का मॉडल 'एकरूपता' पर नहीं, बल्कि 'एकता' पर आधारित है। समावेशी जीवन मूल्य यहां की पहचान है। जहाँ पश्चिमी मॉडल अक्सर व्यक्तिवाद पर केंद्रित होता है, वहीं भारतीय मॉडल 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की भावना से प्रेरित है। संस्कृति–आधारित प्रगति विकसित भारत के लक्ष्य का केंद्रीय तत्व होना चाहिए। भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनना है जहाँ स्मार्ट शहरों के साथ–साथ जीवंत और आत्मनिर्भर गाँव (ग्राम स्वराज) भी हों। हमारी विविधता ही हमारी वह शक्ति है जो नवाचार को जन्म देती है।

2.2. नागरिक कर्तव्यों के विभिन्न आयामों का महत्वः राष्ट्रवाद की भावना और अखंडता का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। अनुच्छेद–51ए, के तहत देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब नागरिक जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, तभी निवेश और विकास के लिए स्थिर वातावरण बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार नागरिक कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद–51ए (एच) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना के विकास पर जोर देता है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना होगा। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अंधविश्वासों को त्यागकर तार्किक सोच अपनाएं और अनुसंधान (आरएंडडी) में योगदान दें। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा आज सर्वाधिक प्रासंगिक अधारणा है। विकसित भारत का अर्थ केवल कंक्रीट के निर्माण नहीं, बल्कि एक हरित राष्ट्र है। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। जलवायु परिवर्तन के दौर में नागरिकों द्वारा जीवनशैली में बदलाव ही भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रख सकता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भारतीय नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति को देश के धरोहर मानते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। यह विकसित राष्ट्र की मानसिकता के विपरीत है। सार्वजनिक संपत्ति (सड़कें, ट्रेन, स्मारक) नागरिकों के कर के पैसे से बनी है। इसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक सभ्य समाज की पहचान है। हमारे देश में नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन के अनेक सफल उदाहरण देखे जा सकते है। जो भारत के नागरिकों के भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते है। विकसित भारत का लक्ष्य केवल राजकीय घोषणाओं से नहीं, बल्कि समाज के 'सामूहिक व्यवहार परिवर्तन' से ही संभव है। स्वच्छ भारत अभियान और पोलियो टीकाकरण की सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब सरकारी नीतियां नागरिकों के स्वतः स्फूर्त कर्तव्यों से जुड़ती हैं, तभी वे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेती हैं। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ करोड़ों नागरिकों ने वित्तीय पारदर्शिता को अपना कर्तव्य मानकर यूपीआइ और डिजिटल भुगतान को वैश्विक स्तर पर सफल बनाया। साथ ही, महाराष्ट्र के हिवरे बाजार जैसे गाँवों में जल संरक्षण के लिए किया गया 'श्रमदान' और कोविड–19 के दौरान नागरिकों द्वारा निभाई गई स्वैच्छिक सहायता की भावना यह स्पष्ट करती है कि सरकारी तंत्र केवल एक सहायक ढांचा प्रदान कर सकता है, लेकिन उसमें प्राण फूंकने का कार्य नागरिक कर्तव्य ही करते हैं। अतः स्पष्ट है कि नीतियां केवल मार्ग प्रशस्त करती हैं, परंतु राष्ट्र का वास्तविक रूपांतरण तब होता है, जब नागरिक सुविधाओं के उपभोक्ता बनने के बजाय विकास के सक्रिय भागीदार बनते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवैधानिक मूल्यों का पालन अपनी जीवनशैली में समाहित कर लेते हैं।

2.3. समावेशी विकास की अवधारणा में नागरिक कर्तव्यों की भूमिकाः समावेशी विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास दर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति (गरीब, वंचित, महिला, किसान और पिछड़े वर्ग) तक पहुँचे। समावेशी विकास केवल सरकार की नीतियों या बजट आवंटन से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए और सामान्य नागरिक चेतना, समावेशी विकास को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक विकास का लाभ सुभेद्य वर्गों तक न पहुंच जाए। दलित, आदिवासी, विमुक्त घुमंतू समुदाय, ट्रांसजेंडर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित और सशक्त न हों। भारत में लगातार मानव विकास बढ़ रहा है, परंतु अभी भी इसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2025 में भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में लगातार ऊपर चढ़ रहा है और 193 देशों में 130वें स्थान पर है। इस स्तर पर नागरिक कर्तव्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समरसता

लाने का प्रयास करे। भेदभाव और ऊंचनीच की मानसिकता को दूर कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने से ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं तथा किसी वर्ग के सम्मान के विरुद्ध हैं। सबका सम्मान और सद्भाव अनिवार्य नागरिक कर्तव्य होना चाहिए। भारत को वित्तीय समावेशन, जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतरण अत्यधिक तीव्र और समावेशी बनाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि "आर्थिक विकास को केवल कुछ शहरों और कुछ नागरिकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विकास सर्वांगीण और समावेशी होना चाहिए।"

क्षेत्र	नागरिक कर्तव्य	समावेशी विकास पर प्रभाव
शिक्षा व कौशल	बच्चों को स्कूल भेजना व कौशल विकास	गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि
सामाजिक	महिलाओं का सम्मान और भाईचारा	जेंडर समानता और सामाजिक न्याय
आर्थिक	कर अनुपालन और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा	कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता
पर्यावरण	जल, जंगल और स्वच्छता का ध्यान रखना	जलवायु परिवर्तन से गरीबों की सुरक्षा
सदाचार	ईमानदारी, सार्वजनिक स्वच्छता	भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी समाज

यदि 'अधिकार' नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, तो 'कर्तव्य' एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उन अधिकारों का लाभ समाज का हर व्यक्ति उठा सके। समावेशी विकास केवल 'सरकार का काम' नहीं है, बल्कि यह 'नागरिकों की साझा जिम्मेदारी' है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो विकास की प्रक्रिया 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के राष्ट्रीय लक्ष्य को सही अर्थों में प्राप्त करती है।

2.4. विज्ञान, तकनीक का विकास में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति केवल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रांति तभी सफल और टिकाऊ हो सकती है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं। नागरिक केवल तकनीक के 'उपभोक्ता' नहीं हैं, बल्कि वे इसके 'संवर्धक और रक्षक' भी हैं।

धर्म और शास्त्र जहां एक तरफ व्यक्ति को स्वस्थ जीवन पद्धति जीने के लिए प्रेरित करते हैं वही अनेक रूढ़ियों और परंपराओं को भी जन्म दे सकते है। अतः आवश्यक है कि भारतीय नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो।आज के दौर में विज्ञान और तकनीकी का विकास अनिवार्य हकीकत हैं, लेकिन तकनीक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि 'अंत्योदय' होना चाहिए। "विकास तब तक अधूरा है, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ न पहुंचे।" यदि हाशिए के समाज (दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब) की जीवन गुणवत्ता को विकास का पैमाना माना जाए, तो भारत के सामने चुनौती बड़ी है। नागरिक कर्तव्य यहाँ यह सुनिश्चित करने में है कि तकनीकी साक्षरता और डिजिटल क्रांति का लाभ केवल शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि एक किसान और मजदूर भी इसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए कर सके।

क्षेत्र	नागरिक कर्तव्यों वैज्ञानिक विकास पर प्रभाव
विचार और चिंतन	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत सोच और अंधविश्वास से दूरी।
डिजिटल व्यवहार	साइबर सुरक्षा बनाए रखना, डेटा प्राइवेसी का सम्मान, फेक न्यूज न फैलाना।
पर्यावरण	ई-वेस्ट का सही निस्तारण और ईको-फ्रेंडली तकनीकों का प्रयोग।
सामाजिक योगदान	डिजिटल साक्षरता फैलाना और स्वदेशी शोध/स्टार्टअप का समर्थन करना।
शिक्षा	बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर संपूर्ण साक्षर और कुशल कार्यबल बनाना।

हमारे मौलिक कर्तव्यों में 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास' शामिल है। विकसित भारत बनने के लिए देश के नागरिकों में अंधविश्वास से परे हटकर तर्कसंगत, अनुसंधान–आधारित और नवोन्मेषी सोच का होना आवश्यक है। इस तरह विज्ञान और तकनीक समाज को साधन प्रदान करते हैं, लेकिन यह नागरिकों का विवेक और कर्तव्य तय करता है कि वे साधन प्रगति का कारण बनेंगे या पतन का। जब नागरिक जिम्मेदारी से तकनीक का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक सोच को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तभी कोई राष्ट्र एक सच्चा 'ज्ञान–आधारित समाज' बन पाता है।

2.5. उपभोक्ता संस्कृति में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: आज के तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर में, उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह संस्कृति मुख्य रूप से अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर जोर देती है। हालांकि, जब उपभोक्ता संस्कृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो यह पर्यावरण क्षरण, सामाजिक असमानता और संसाधनों की बर्बादी का कारण बन सकती है। यहीं पर नागरिक कर्तव्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य हमारी उपभोक्ता आदतों को दिशा देते हैं।

संविधान और नैतिकता, दोनों ही हमें पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपते हैं। उपभोक्ता संस्कृति अक्सर 'यूज एंड थ्रो' की आदत को बढ़ावा देती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यह हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को चुनें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। उपभोक्ता संस्कृति में अक्सर लोग विदेशी और महंगे ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, जिससे देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक नागरिक का कर्तव्य है। स्थानीय कारीगरों, किसानों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर हम देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। सस्ती वस्तुओं की चाह में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन उत्पादों को कैसे बनाया गया है। कई बार इनके पीछे बाल श्रम, मजदूरों का शोषण या जानवरों पर क्रूरता शामिल होती है। जबकि मानवाधिकारों का सम्मान करना एक अहम नागरिक कर्तव्य है। हमें उन ब्रांड्स या कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए जो अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें चुनना चाहिए जो फेयर ट्रेड और श्रम कानूनों का पालन करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून हमें कई अधिकार देते हैं (जैसे सही जानकारी, गुणवत्ता की गारंटी), लेकिन इसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, बिल मांगना ताकि करों की चोरी न हो, कालाबाजारी को बढ़ावा न देना और झूठे विज्ञापनों या खराब उत्पादों के खिलाफ आवाज उठाना। टैक्स देना राष्ट्र निर्माण के लिए एक बुनियादी नागरिक कर्तव्य है।

उपभोक्तावाद अक्सर दिखावे को जन्म देता है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जिससे संसाधनों की कमी हो जाती है। जबकि समाज के प्रति सहानुभूति रखना और संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करना, भोजन, पानी, बिजली और ईंधन की बर्बादी को रोकना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। कुल मिलाकर उपभोक्ता संस्कृति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इसे नागरिक कर्तव्यों की कसौटी पर परखा जाता है, तो यह 'अंधे उपभोग' से बदलकर 'जिम्मेदार उपभोग' में बदल जाती है। एक अच्छा उपभोक्ता वही है जो पहले एक अच्छा और जागरूक नागरिक हो।

2.6. पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: पर्यावरण संरक्षण किसी एक सरकार, संस्था या कानून की जिम्मेदारी नहीं हैय यह हर नागरिक के सहयोग से ही संभव है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक आदतों में सुधार करता है, तो उसका सामूहिक प्रभाव पूरे समाज और पृथ्वी पर दिखाई देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी) में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।' यहाँ पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों कर्तव्यों की भूमिका से आशय है कि बिजली की फिजूलखर्ची रोकना, एलईडी बल्बों का उपयोग करना और जहाँ संभव हो सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना, पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, नल खुला न छोड़ना, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग, सिंगल–यूज प्लास्टिक पर रोक कर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना, पुरानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करना, सूखे और गीले कचरे को अलग–अलग रखना ताकि उनका सही निस्तारण हो सके। केवल पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करना भी नागरिक कर्तव्य है।

वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान न पहुँचाना, कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को प्राथमिकता देना ताकि कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण कम हो। अपने परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों को पर्यावरण–अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक करना, स्थानीय अभियानों जैसे स्वच्छता अभियानों, पौधरोपण कार्यक्रमों और नदियोंध्तालाबों की सफाई में सक्रिय योगदान देना आदि कर्तव्यों का निर्वहन कर हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कहने का आशय कि पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव हैं। "छोटा कदम, बड़ा बदलाव" के सिद्धांत को अपनाकर ही हम एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं।

2.7. आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: किसी भी देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण में केवल सरकार की नीतियां ही काफी नहीं होतींय बल्कि नागरिकों की भागीदारी और उनके कर्तव्य इसमें सबसे अहम नींव का काम करते हैं। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, तो देश की संपत्ति और संसाधन सुरक्षित रहते हैं और उनका कुशल उपयोग होता है। कहने का आशय कि आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध देश के राजस्व, व्यापार और अनुशासित कार्य संस्कृति से है। उदाहरण के लिए, कर नागरिकों का सबसे प्राथमिक आर्थिक कर्तव्य है। जब नागरिक ईमानदारी से आयकर, जीएसटी और स्थानीय कर चुकाते हैं, तभी सरकार के पास सड़कें, अस्पताल, स्कूल और नई तकनीक विकसित करने का फंड बनता है। कैश लेनदेन के बजाय डिजिटल भुगतान अपनाना, बिल मांगना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देना देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। स्वदेशी या स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देना स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और एमएसएमई क्षेत्र को जीवंत रखता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

अपने काम को ईमानदारी और दक्षता से करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना और नए कौशल सीखना देश की कुल उत्पादकता को बढ़ाता है।

नागरिक कर्तव्य	आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव
ईमानदार टैक्स भुगतान	नए इंफ्रास्ट्रक्चर (हाईवे, मेट्रो, एम्स) के लिए सीधा बजट मिलना।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा	तोड़-फोड़ और मरम्मत पर होने वाले सरकारी फिजूलखर्च में कमी।
स्वच्छता बनाए रखना	स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कम होना और पर्यटन आय में बढ़ोतरी।
डिजिटल लेनदेन अपनाना	अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन।
पर्यावरण का संवर्धन	टिकाऊ एवं स्वच्छ भारत हेतु जल संरक्षण, प्लास्टिक का सीमित उपयोग
अर्थव्यवस्था का संवर्धन	मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हेतु कर निष्ठा, डिजिटल लेनदेन, स्वदेशी को बढ़ावा

सरकार बुनियादी ढांचा तैयार तो कर सकती है, लेकिन उसकी सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा नागरिकों का होता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए (आई) में भी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है। ट्रेनों, बसों, पार्कों, सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाना और साफ रखना सरकार का करोड़ों रुपया मरम्मत में खर्च होने से बचाता है। कचरे को डस्टबिन में डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना शहरों को स्वच्छ बनाता है। इससे नगर निगम का खर्च घटता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिजली की चोरी न करना, पानी की बर्बादी रोकना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना ऊर्जा संकट को टालता है और बुनियादी ढांचे पर अनावश्यक दबाव कम करता है। सड़क पर अनुशासन बनाए रखने से दुर्घटनाएं कम होती हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती और माल ढुलाई में लगने वाला समय और ईंधन दोनों बचते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास किसी भी देश की 'इमारत' हैं, तो नागरिकों के कर्तव्य उसकी 'नींव' होते हैं। जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो सरकारी पूंजी का अधिकतम लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है।

3. नागरिक कर्तव्यों के पालन में चुनौतियां और बाधाएं: हम जानते हैं कि नागरिक कर्तव्य केवल संविधान में उल्लेखित प्रावधानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह नैतिक दायित्व भी है। नागरिक कर्तव्यों का पालन किसी भी लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज की नींव होता है। हालाँकि, व्यावहारिक जीवन में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न कर पाने के पीछे कई सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक बाधाएँ हैं। उदाहरण के लिए:

3.1. अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन का अभाव: बहुधा नागरिक अपने अधिकारों (जैसे स्वतंत्रता, समानता, मुफ्त सुविधाएँ) के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों (जैसे स्वच्छता रखना, कर चुकाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना) को भूल जाते हैं।

3.2. नागरिक उदासीनता: 'मुझे क्या फर्क पड़ता है' वाली मानसिकता से ग्रसित अधिकांश लोग सोचते हैं कि अकेले उनके नियम मानने या न मानने से देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस सोच के कारण सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना और मतदान न करना आम बात बन जाती है।

3.3. जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी: संवैधानिक प्रावधानों से अनभिज्ञता भी कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा का काम करती है। कई नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्राथमिक जानकारी ही नहीं होती। हमारी शिक्षा प्रणाली में अक्सर किताबों तक सीमित ज्ञान दिया जाता है, जबकि नागरिक बोध और नैतिक मूल्यों का व्यावहारिक पाठ कम मिलता है।

3.4. गरीबी और सामाजिक–आर्थिक विषमता: अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए दैनिक आजीविका कमाना प्राथमिक होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय या सामाजिक कर्तव्यों पर ध्यान देना उनके लिए द्वितीयक हो जाता है।

3.5. संकीर्ण मानसिकता: राष्ट्रहित पर स्थानीय हित हावी होना हमारे समाज में निहित संकीर्ण मानसिकता का परिचायक रहा है। जब व्यक्ति की निष्ठा अपने देश के स्थान पर अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र तक सीमित हो जाती है, तो समाज में सौहार्द और बंधुत्व (जो कि एक प्रमुख नागरिक कर्तव्य है) का ढांचा कमजोर पड़ता है।

3.6. कठोर कानूनी प्रवर्तन की कमी: भारत में मौलिक कर्तव्य ग़ैर–न्यायिकश हैं, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत द्वारा सजा नहीं दी जा सकती (जब तक कि उनके लिए अलग से कोई कानून न हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम)। इसके चलते लोग इनका पालन गंभीरता से नहीं करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में हम अक्सर अपने 'अधिकारों' के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन 'कर्तव्यों' को भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो

पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की मांग समाज में अराजकता और स्वार्थ को जन्म देती है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तभी समाज में अधिकारों का वास्तविक संरक्षण संभव हो पाता है। केवल मतदान करने तक नागरिक की भूमिका सीमित नहीं होती। नागरिक कर्तव्यों का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु) को संरक्षित करता है। कानून और व्यवस्था का सम्मान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए में भाईचारे, विविधता के सम्मान और भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा पर बल दिया गया है। जब नागरिक अपने इन कर्तव्यों को समझते हैं, तो जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर होने वाले भेदभाव और टकराव में कमी आती है, जो विकसित भारत के लिए अनिवार्य है। देश की अर्थव्यवस्था केवल टैक्स देने से नहीं, बल्कि संसाधनों के अनुशासित उपयोग से भी मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, स्वच्छता बनाए रखना, बिजली और पानी की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना आदि सभी छोटी–छोटी आदतें देश के अरबों रुपये बचाती हैं, जिन्हें विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।

नागरिक कर्तव्यों को सिखाने की जिम्मेदारी केवल परिवार और समाज संस्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में नागरिक बोध को अनिवार्य बनाया जाए। इसी तरह पाठ्यपुस्तकों और गतिविधियों के माध्यम से बचपन से ही स्वच्छता, यातायात नियम और सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान की आदत डालना, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों और समुदायों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक नियमों पर स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से कानून लागू करना, मीडिया और डिजिटल माध्यमों से नागरिक बोध का प्रसार करने के भी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। इसके प्रोत्साहन हेतु अनुकरणीय कर्तव्य पालन करने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। आधुनिक डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में नागरिक कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक सचेत होना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में अनुचित सामग्री का उपयोग न करना तथा भ्रामक खबरों को न फैलाना और डिजिटल शिष्टाचार बनाए रखना भी एक नया कर्तव्य बनना चाहिए।

कुल मिलाकर 'विकसित भारत@2047' केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का साझा स्वप्न है। जब एक नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, बिजली की बचत करता है, यातायात नियमों का पालन करता है या अपनी कार्यक्षमता का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र को देता है, तो वह विकसित भारत की नींव में एक ईंट रख रहा होता है। अधिकार हमें 'लेना' सिखाते हैं, जबकि कर्तव्य हमें 'देना' सिखाते हैं। एक विकसित समाज वही है जहाँ 'मैं' से पहले 'हम' और 'हम' से पहले 'राष्ट्र' की भावना हो। यदि हम अपने कर्तव्यों को अपनी जीवनशैली बना लें, तो भारत को एक समृद्ध विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. योगी सत्यभूषण (संपादक, 1966)। मनुस्मृति, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
2. भारत का संविधान (1976). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (आर्टिकल–51ए फंडामेंटल ड्यूटीज). मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,1976. पब्लिकेशन्स डिवीजन.
3. कश्यप, सुभाष सी. (2019). हमारा संविधानः भारत के संविधान और संवैधानिक कानून का परिचय (6एडिशन). नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
4. संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट (2002). Report of the National Commission to Review the Working of the Constitution (Vol. 1). Ministry of Law and Justice, Government of India.
5. Verma, J. S., Anand, A. S., & Venkatachaliah, M. N. (1999). Report of the committee to operationalise suggestions for teaching fundamental duties to citizens. Ministry of Human Resource Development, Government of India.
6. Austin, G. (1999). Working a democratic constitution: A history of the Indian experience. Oxford University Press.
7. Sorabjee, S. J. (2002). Fundamental duties for citizens: Importance and enforcement. Journal of the Indian Law Institute, 44(3), 310–318.
8. NCERT. (2020). National Curriculum Framework and Fundamental Duties. National Council of Educational Research and Training.
9. https://www.undp.org/india/press-releases/indias-human-development-continues-make-progress-ranks-130-out-193-countries
10. https://www.globalhungerindex.org/india.html

आलेख उद्धरित करें :	पाल, बृजेश कुमार एवं कुशवाहा, धर्मकीर्ति (2026)। विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 24–30। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787366